



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2070 /SEIAA/

Date: 22/11/22

प्रति,

श्री सुनील सिंह भदौरिया  
आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया  
निवासी-ई-46 ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर,  
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SEIAA/MP/MIN/292346/2022 प्रकरण क्रमांक 6917/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रैक्टर, ई-46/ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 3.460 हे., उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 138, ग्राम कंजोली, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया निवासी-ई-46 ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 3.460 हे., उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 138, ग्राम कंजोली, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.), हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला दतिया द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रैक्टर, ई-46/ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया निवासी-ई-46 ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

- II. श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया निवासी-ई-46 ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. क्यू/खनि/3-6/(DEIAA)/148/2018/190-11 दिनांक 20.09.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं SEIAA द्वारा हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 5036/एसईआईएए/2020 दिनांक 09.03.2020 की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 6178 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से हस्तांतरित अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी आशय पत्र क्र. 598-6/खनि/3-6/रेत टेण्डर/2022 दिनांक 26.08.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।
- VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पत्र क्र. 693 दिनांक 06.10.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) द्वारा हस्तांतरित पत्र की प्रति।
- VIII. जिला खनिज अधिकारी, दतिया द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 695 दिनांक 07.10.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।
- IX. SEIAA द्वारा जिला दतिया की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विषयान्तर्गत प्रस्तावित रेत खदान की जानकारी सम्मिलित है।

खनिज अधिकारी दतिया द्वारा प्राप्त अभिप्रमाणित जानकारी एवं शासकीय अधिवक्ता के विधिक परामर्श के परिपेक्ष्य में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. क्यू/खनि/3-6/(DEIAA)/148/2018/190-11 दिनांक 20.09.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं SEIAA द्वारा हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 5036/एसईआईएए/2020 दिनांक 09.03.2020 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.पी. भदौरिया कॉन्ट्रैक्टर, ई-46/ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 3.460 हे., उत्पादन क्षमता 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 138, ग्राम कंजोली, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी-ई-46 ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.09.2018 एवं हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 09.03.2020 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 4000 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 20400 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। मान्य न्यूनतम मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इसका परिपालन संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।